राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 924वी बैठक दिनांक 23.12.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 924वी बैठक दिनांक 23.12.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/1902/2025	1(a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा स्पष्ट नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
2.	P2/1900/2025	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P2/1899/2025	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	P2/1894/2025	1(a)	विदिशा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
5.	P2/1893/2025	1(a)	धार	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
6.	P2/1889/2025	1(a)	सीहोर	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	P2/1727/2025	1(a)	बड़वानी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
8.	8963/2022	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	P2/1574/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P2/1104/2025	3(a)	धार	स्टील प्लान्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	P2/1316/2025	8(a)	पन्ना	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12.	P2/290/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
13.	P2/1940/2025	1(a)	शिवपुरी	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	P2/1936/2025	1(a)	रायसेन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
15.	P2/1935/2025	1(a)	दमोह	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
16.	P2/1079/2025	1(a)	बड़वानी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
17.	P2/1314/2025	1(a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	P2/1851/2025	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
19.	P2/1882/2025	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
20.	P2/1926/2025	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
21.	2146/2014	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
22.	P2/1806/2025	1(a)	आगर–मालवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः ADS जारी किया जाये।
23.	P2/1839/2025	1(a)	जबलपुर	सिलिका सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

1. **Proposal No. SIA/MP/MIN/546524/2025, Case No P2/1902/2025Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.0 ha. for production capacity of 5400 cum/annum, at khasra No. 684 (Govt. Land),village JarkhisakraiTehsilPolaykalanDistrict Shajapur (M.P.) by Shri Ramesh Chandra Dangi, Lessee,R/o-Village Jarkhisakrai Tehsil- Gulana DistrictShajapur(M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 832वी बैठक दिनांक 24.10.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" .... उक्त प्रकरण के अवलोकन के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि वर्तमान में कोई संसोधन प्रस्तावित नहीं है अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, सिया द्वारा जारी उल्लेखित पत्र के आधार पर प्रकरण हेतु पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि बड़ी हुई मान्य हो गयी है जो कि लीज अवधि के अनुसार आगामी 10 वर्ष 09-06-2024 से 08-06-2034 तक के लिए मान्य हो जाती है। अतः उक्त प्रकरण में नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

इसके अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों की अनुपालन प्रतिवेदन रिपोर्ट जनवरी से जून 2025 एवं पूर्व में जमा की गयी कंप्लायंस रिपोर्ट की पावती प्रस्तुत की गयी एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पट्टे हेतु जारी नवीन CTO वैधता 08-06-2029 तक प्रस्तुत की गयी ।

समिति द्वारा पुरानी पर्यावरणीय स्वीकृति कि अवधि को आगामी लीज अवधि अनुसार मान्य करते हुए प्रकरण की अनुशंसा कर उक्त प्रकरण को सिया हेतु प्रेषित करती है।'

उक्त प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रकरण में दिनांक 07.11.2014 को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति 10 वर्ष हेतु जारी की गई थी जिसकी वैधता दिनांक 06.11.2024 को समाप्त हो गई है। चूँकि उक्त पर्यावरण स्वीकृति में वैधता अवधि अंकित है जिसके अनुसार भारत सरकार के ईआईए अधिसूचना 2006 एवं बाद के संशोधनों परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता समाप्त होने के पूर्व अथवा समाप्त होने के 90 दिवस के अंदर वैधता विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन किया जाना अनिवार्य है। परियोनजा प्रस्तावक द्वारा अवधि समाप्त होने के उपरांत प्रकरण में नवीन पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है जिसमें SEAC द्वारा परीक्षण कर अनुशंसा किया जाना है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

2. **Proposal No.SIA/MP/MIN/537477/2025, Case No. P2/1900/2025 Prior Environment Clearance for Stone mine (Opencast semi mechanized method)in an area of 3.00 Hectare (Minable area is 1.0 ha. as per setback), for production capacity of Gitti-12,500 m3 & M-Sand - 12,500 m3 (As per setback of water body), at Khasra No. 584/1/2,Village Khaikheda Tehsil Doraha District Sehore (M.P.) by Shri Elam Singh Dangi, Village Khaikheda Tehsil Shyampur District Sehore (MP)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **832वी बैठक दिनांक 24.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 832वी बैठक दिनांक 24.10.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्रमांक 263 दिनांक 17.01.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.01.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **तालाब के FTL से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

3. Proposal No.SIA/MP/MIN/547041/2025, Case No.P2/1899/2025Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.15ha. for production capacity of 50,000 m3 (Gitti-10,000 cum per annum & Boulder-35,000 cum per annum, and M-Sand-5,000 cum per annum), at Khasra No. 39/2/1, 39/3/1, 42,43/2, Village- Babedi Jungle Tehsil- Orchha District Niwari(M.P.) by Shri Prashant Gupta, Partner, Shri Pitambra Stone Crusher, 814/2, C.P. Mission. Compound Jhansi (U.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **832वी बैठक दिनांक 24.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 832वी बैठक दिनांक 24.10.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश कमांक I/284702/2025/न.क. 01/2025 दिनांक 02.06.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.06.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त सागर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 12/12/2024 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा क्षेत्र की ओर निर्धारित दूरी छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा एवं वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तो का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नदी से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 20 वृक्षों में से काटे जाने वाले 14 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 140 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु टी गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। उक्त काटे जाने वाले वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।**

(vi) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

4. Proposal No. SIA/MP/MIN/544097/2025, Case No. P2/1894/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha. for production capacity of 10000 M3/year, at Khasra No. 285,295/1, Village-Korwai, Tehsil- Kurwai, District- Vidisha (MP) by Shri Sourabh Rai, shekhar ward, khurai, Sagar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **832वी बैठक दिनांक 24.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रश्नाधीन खदान के 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान श्री मंयक के नाम से रकबा 3.75 हेक्टेयर की स्वीकृत/संचालित होना परिलक्षित है जिसको मिलाकर कुल रकबा 5 हेक्टेयर अधिक होता है एवं प्रकरण बी–1 श्रेणी में आता है। जबकि जिला खनिज अधिकारी द्वारा जारी किये गये एकल प्रमाण पत्र के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है का उल्लेख है।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण निरस्त किये जाने के पूर्व अभिमत /पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

5. Proposal No. SIA/MP/MIN/527770/2025, Case No P2/1893/2025 Prior Environment Clearance for Murrum Query (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha. for production capacity of Murrum - 10,000 cum per year, at Khasra No. 1011 (Govt.Land), Village- Badveli, Tehsil – Sardarpura , District - Dhar (M.P.) by Ms. Sapna, Lessee, W.No.13, Dalpura Rajgarh, Dhar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **832वी बैठक दिनांक 24.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रश्नाधीन खदान से 95 मीटर की दूरी पर एक छात्रावास परिलक्षित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत कलेक्टर जिला धार से अभिमत प्राप्त किया जाये कि खदान क्षेत्र के पास स्थित छात्रावास को खदान संचालन से कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं एवं कोई जनहानि होने की संभावना तो नहीं है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

6. Proposal No. SIA/MP/MIN/531945/2025, Case No. P2/1889/2025 Prior Environment clearance of Murrum Query (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha. for Production capacity of 25000 cubic meters/year, at Khasra 56/1, Village- Hasnabad, Tehsil & District Sehore (MP) by Shri Dinesh Thakur S/O. Shri Vishnu Singh Thakur Address Gram Hasnabad, Tehsil & District- Sehore (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **832वी बैठक दिनांक 24.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 832वी बैठक दिनांक 24.10.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश कमांक 956 दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.01.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **वाटर वाडी एवं स्ट्रक्चर से न्यूनतम 100 मीटर तक एवं प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 3.00 हे. में से मात्र 1.29 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(vi) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

7. **Proposal No. SIA/MP/MIN/521235/2025, Case No. P2/1727/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.517 ha. for production capacity of 16,005 cum per year, at Khasra No. 220, Village- Mansur, Tehsil Niwali District-Barwani (M.P.) by Smt. Punam Goyal, R/o Ward no.- 05, Mandir Chouk, Nagar Parishad, Niwali Buzurg, Barwani, Madhya Pradesh – 451770 (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **838वी बैठक दिनांक 25.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

> **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के लीज हस्तांतरण पत्र दिनांक 24.05.2023 अनुसार लीज की अवधि दिनांक 06.01.2026 तक ही स्वीकृत है इसके उपरांत हुए नवीनीकरण का आदेश परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं है।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रसतावक द्वारा लीज की वैधता के संबंध में दस्तावेज 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये जायें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

8. Proposal No. SIA/MP/MIN/531497/2025, Case No. 8963/2022 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.603 Hectares, for production Capacity of 60,000 Cubic Meters, at khasra No. 2724/min-2, 2725, 2729, 2730, 2728/min-2, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior (MP) by M/s New Jai Daubaba Stone Crusher, Shri Sardar Singh Gurjar, Paras Vihar Colony, Opposite Jhansi Road Police Station, Lashkar District Gwalior (Madhya Pradesh)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **838वी बैठक दिनांक 25.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के आदेश कमांक 8920 दिनांक 31.08.2021 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.01.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **वाटर पक्की सड़क एवं मानब बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 2.603 हे. में से मात्र 1.359 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षो के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

9. Case No. - P2/1574/2025: Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Residential cum Commercial Project M/s" Shekhar Global" at Khasra No.4/3/1/2, 4/3/1/3, Village -Nipania Tehsil & District Indore (M.P.). Total Plot Area – 6,610 m2, Net plot area – 5,819.02 m2, Built-up area – 23,096.87 m2, Shops-32 by Shri Kailash Singh Raghuwanshi, Designated Partner, Rishi Tradewing (India) LLP, 106 FH - Scheme No. 54, Indore, Vijay Nagar, MP 452010. SIA/MP/INFRA2/539093/2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **838**वी बैठक दिनांक 25.10.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उक्त आवासीय सह–वाणिज्यिक परियोजना "शेखर ग्लोबल" खसरा संख्या 4/3/1/2 एवं 4/3/1/3, ग्राम निपानिया, तहसील, जिला इंदौर में स्थित है जिसमें कुल प्लॉट क्षेत्रफल 6,610 वर्ग मीटर, कुल निर्मित क्षेत्र 23,096.87 वर्ग मीटर में श्री कैलाश सिंह रघुवंशी, Designated Partner, ऋषि ट्रेडविंग (इंडिया) एलएलपी, 106 एफ.एच., योजना क्रमांक–54, विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश–452010 द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।

2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 6,610 वर्गमीटर, तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल 23,096.87 वर्गमीटर है जो 1,50,000.00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।

3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 24 से 37 तक अंकित है।

4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/539093/2024.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2.	Project Name/Activity	**Shri Kailash Singh Raghuwanshi, Designated Partner, Rishi Tradewing (India) LLP, 106 FH - Scheme No. 54, Indore, Vijay Nagar, MP 452010,** *Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Residential cum Commercial Project **M/s "Shekhar Global" by Rishi Tradewing (India) LLP Project** at Khasra No.4/3/1/2, 4/3/1/3 at Village -Nipania Tehsil & District Indore (M.P.). **Total Plot Area – 6,610 m^2, Net plot area – 5,819.02 m^2, Built-up area – 23,096.87 m^2, Shops - 32, Cat. - 8(a).Building and Construction projects.***
3.	Project Cost.	4500 Lakhs.
4.	Description of Project	M/s Rishi Tradewing (India) LLP is a firm and mainly involved in promoting the real estate developers, promoters, infrastructure developers & financers. The management of the company has decided to develop a residential cum commercial project in Indore. The company has already acquired the Plot Area measuring 6,610 m^2 at Khasra No.4/3/1/2, 4/3/1/3 at Village Nipania Tehsil & District Indore (M.P.).
5.	Declaration	PP Affidavit submit dated 24/03/2025 regarding No Construction start at project site Submitted(Uploaded on Parivesh Portal 2.0).
6.	Lat./Log.	22°46'20.14"N and 75°55'33.32"E.
7.	Building Height	45 Meter.
8.	MSW NoC	NOC letter 3673 dt. 16.07.2025
9.	Extra Treated water NoC	NOC letter 4082 dt. 26.09.2025
10.	T&CP Permission details	INDLP04102432894 date 04/12/2024.
11.	Total parking area	Open parking: 30 ECS Basement parking: 90 ECS Stilt parking: 49 ECS.
12.	Number of vehicle to be parked	169 No.
13.	Water requirement details	Total Water Requirement: 104.22 KLD Fresh Water Requirement: 57.17 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 47.05 KLD.
14.	Hence No. of pits required	2 Pits.
15.	DG set capacity	2 DG sets of total capacity 400 KVA (2×200 KVA).
16.	CTE details	Consent No:CTE-62280 Outward No:122836, dt.02/06/2025
17.	Environmental Consultant Change	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 19. 02 2026.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)की 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)की 924वीं बैठक दिनांक 23.12.2025 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्न बिंदु i से ix को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. **परियोजना स्थल के चारों ओर हरित पट्टी (Green Belt) विद्यमान है जिसके संरक्षण सुनिश्चित करते हुए ही समस्त कार्य किया जाए। पर्यावरण स्वीकृति (EC) जारी होने के 15 दिवस में उक्त हरित पट्टी से संबंधित योजना परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। यदि उक्त योजना पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

ii. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

iii. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

iv. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

v. परियेजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

vi. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

viii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

ix. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

10. **Proposal No. - SIA/MP/IND1/533805/2025, Case No P2/1104/2025 Prior Environment Clearance for Proposed Project of Steel Plant and Bright Bar at Plot No 159, Sector III, Industrial Area, Pithampur, District Dhar (MP), Capacity – 2,00,000 MTPA. Total Plot Area of 72,875 sq.mt., by Prashant Kumar, Sr. Commercial Manager, Shyam Sel & Power Limited, SS Chamber 5 CR Avenue Kolkata-700072..**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **838**वी बैठक दिनांक 25.10.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. उपरोक्त विषयांकित परियोजना पीथमपुर, जिला धार (मध्य प्रदेश) के औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर III प्लॉट संख्या 159 में **Steel Plant and Bright Bar** की कुल प्लॉट क्षेत्र 72,875 sq.mt में 2,00,000 MTPA क्षमता के लिए श्री प्रशांत कुमार, वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक, Shyam Sel & Power Limited, SS Chamber 5 CR Avenue Kolkata द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना ईआईए अधिसूचना 2006 एवं समय–समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार परियोजना श्रेणी 3(a) **Metallurgical Industries (ferrous and non ferrous)** के अंतर्गत आती है।
3. प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 1 से 8 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:–

SN	Projects Details	
1.	Proposal /Activity Name Location of Project	Mr. Prashant Kumar, Sr Commercial Manager, SHYAM SEL & POWER LIMITED, SS CHAMBER 5 CR AVENUE KOLKATA - 700072, *Prior Environment Clearance for Proposed Project of Steel Plant and Bright Bar at Plot No 159, Sector III, Industrial Area, Pithampur, and District Dhar (MP),* ***Capaciy – 2,00,000 MTPA.*** *Total Plot Area - Area of 72,875 sq.mt.,* **Cat.: 3(a) Metallurgical Industries (ferrous and non ferrous).**
2.	Project Cost Rs.	145 Cr. (14500 Lakhs).

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3.	Description of Project	Shyam Sel and Power Ltd. (SSPL) (Unit-I) are proposing their project at Plot No 159, Sector III, Industrial Area, Pithampur, and District Dhar (MP). The lease area of project is 72875 sq.mt allotted by MPIDC, Indore.
4.	**Details of Products & By-products.**	

Name of Product	Quantity/ Capacity	Unit	Remarks
➢ Oxygen/Nitrogen	400	Cubic meter/hr each	Oxygen/Nitrogen
➢ SS steel bright bar & Profiles	12,000	Tons per Annum (TPA)	Bright Bar
➢ MS, SS Ingots/ Billets/ Slab	2,00,000	Tons per Annum (TPA)	Induction Furnace
➢ MS, SS Bars/SS Wire Rod /SS TMT Bars	1,08,000	Tons per Annum (TPA)	Rolling Mill (Flat/Round)

5.	ToR Status	Standard TOR Identification No.: TO25B1011MP5793573N dated.18.02.2025.Proposal No.- SIA/MP/IND1/518364/2025.
	Documentary Details	
6.	Latitude Longitude details.	Pillar Latitude Longitude 1. 22°38'16.66"N 75°35'52.65"E 2. 22°38'11.23"N 75°36'5.48"E 3. 22°38'6.36"N 75°36'2.39"E 4. 22°38'11.12"N 75°35'50.12"E
7.	Env. Consultant.	Chandigarh Pollution Testing Laboratory –EIA Division, Mohali (Punjab)

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)की 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)की 924वीं बैठक दिनांक 23.12.2025 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्न बिंदु i से xvi को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. परियोजना में उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन पर विशेष व्यवस्थाओं पर ध्यान रखा जाये। उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्ठों का लेखा रखा जाये एवं उनका निष्पादन कैसे हुआ का भी विवरण का रिकार्ड रखें। यह सतत् प्रक्रिया हो जिससे प्रतिदिन संधारित किये जाये एवं उनका विवरण मं.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अर्ध वार्षिक आधार पर भेजा जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

ii. खतरनाक रसायनों, गैसों के प्रबंधन पर समुचित ध्यान रखा जाये एवं आपदा से निपटने के लिये समय–समय पर माकड्रिल आयोजित की जाये।

iii. परियोजना अंतर्गत उत्सर्जित अनुपयोगी (**waste heat**) उष्मा का समुचित प्रबंधन कर पुर्नउपयोग किया जाये।

iv. उद्योग से उत्पन्न दूषित जल का जहाँ तक हो सके पुर्नउपयोग उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

v. रिसाव का पता लगाने के लिए मशीनरी के संचालन के दौरान सभी ईंधन, तेल, या द्रव युक्त फिटिंग, होसेस और सील का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए एवं इसका रिकार्ड भी रखा जाये।

vi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोडिंग–अनलोडिंग क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रावधान जैसे इस क्षेत्र के भू स्थल/ठोस सरफेस का विकास, क्षेत्र की साफ सफाई, इस क्षेत्र के अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निष्पादन एवं अन्य उपाये किए जाए।

vii. री–हीटिंग फर्नेस, बॉयलर एवं डीजी सेट की चिमनी ऊँचाई **CPCB/SPCB** मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएगी।

viii. प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट जल का उपचार **ETP** के माध्यम से किया जाएगा तथा उपचारित जल का अधिकतम पुनः उपयोग किया जाएगा; अनुपचारित जल का बाह्य निकास नहीं होगा।

ix. स्लैग, मिल स्केल एवं धात्विक ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन कर अधिकृत एजेंसियों को ही उपयोग/निस्तारण हेतु दिया जाएगा।

x. ब्राइट बार इकाई में पिकलिंग/सरफेस ट्रीटमेंट से उत्पन्न अपशिष्ट का निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा तथा एसिड फ्यूम्स नियंत्रण हेतु स्क्रबर लगाए जाएँगे।

xi. कच्चे माल एवं तैयार उत्पाद के भंडारण/परिवहन के दौरान फ्यूजिटिव डस्ट नियंत्रण हेतु कवरिंग एवं वॉटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था रहेगी।

xii. परियोजना क्षेत्र के न्यूनतम **33%** भाग में हरित पट्टी का विकास किया जाएगा।

xiii. पर्यावरणीय मापदंडों की नियमित निगरानी एवं छह–माही अनुपालन रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

xiv. प्रयुक्त/स्पेंट ऑयल का निस्तारण केवल **CPCB/SPCB** से अधिकृत रीसाइक्लर/री–रिफाइनर के माध्यम से किया जाएगा।

xv. ब्राइट बार इकाई में पिकलिंग/सतह उपचार से उत्पन्न **Hazardous Sludge/Acidic Waste** का उपचार कर अधिकृत **TSDF** को ही निस्तारण हेतु दिया जाएगा।

xvi. किसी भी **Hazardous Waste** का खुला भंडारण, मिश्रण अथवा भूमि/जल में निष्कासन नहीं किया जाएगा तथा इसका अभिलेख (**Manifest/Records**) संधारित किया जाएगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

11. Proposal No. - SIA/MP/INFRA2/523297/2025, Case No P2/1316/2025 Prior Environment Clearance for Construction of the Residential Colony with a Plot Area of 140000 sq.m (14 Ha.) and a Built-up Area of 34,050 sq.m at Villages- Sotipura & Harduaken, Tehsil Amanganj, District Panna (M.P.) by Shri Kapil Agrawal, Unit Head, J K Cement Limited, Kamla Tower, Kanpur (U.P.) Pin - 208001. SIA/MP/INFRA2/523297/2025 (Query Reply B2)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **838**वी बैठक दिनांक 25.10.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. **उक्त परियोजना आवासीय कॉलोनी ग्राम–सोटीपुरा एवं हरदुआकेन, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना (म.प्र.) में स्थित है, जिसमें कुल प्लॉट क्षेत्रफल 14 हेक्टेयर तथा कुल निर्मित क्षेत्र 34,050 वर्गमीटर में श्री कपिल अग्रवाल, यूनिट हेड, जे.के. सीमेंट लिमिटेड, कमला टॉवर, कानपुर (उ.प्र.)–208001 द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।**

2. **परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग मीटर, तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल 34,050 वर्ग मीटर (मौजूदा क्षेत्रफल 16,620 वर्ग मीटर + प्रस्तावित क्षेत्रफल 17,430 वर्ग मीटर) है जो 1,50,000.00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना आवासीय उपयोग के अंतर्गत है।**

3. **उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 9 से 23 तक अंकित है।**

4. **परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–**

SN	Information Required	Details
18.	Project Name/Activity	Shri Kapil Agrawal, Unit Head, J K Cement Limited, Kamla Tower, Kanpur (U.P.) Pin - 208001. *Prior Environment Clearance for Construction of the Residential Colony with a Plot Area of 140000 sq.m (14 Ha.) and a* ***Built-up Area of 34,050 sq.m*** *at Villages- Sotipura & Harduaken, Tehsil Amanganj, District Panna (M.P.) by J K Cement Limited."* ***Cat. - 8(a). Building and Construction Projects.***

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

19.	Project Cost.	34050 Lakhs.
20.	Description of Project	The proposed residential project is situated at Villages- Sotipura & Harduaken, Tehsil Amanganj, District Panna (M.P.) with a Plot Area of 14 Ha and a Built-up Area of 34,050 sq.m with 198 units along with the Director's Bungalow, Unit Head's Bungalow, Guest House & Bachelor Hostel, Commercial & Retail Spaces etc. by JK Cement Ltd.
21.	Gram Panchayat NoC	Gram Pancyat Devara Janpad Panchyat Pawai Distt. – Panna (M.P.) Dated 02/10/2019
22.	CGWA NOC Status	• Project Name: J K Cement Limited, Harduaken, Puraina, Sotipura And Madaiyan, Block: Pawai, Distt. – Panna (M.P.). • NOC No: CGWA/NOC/IND/REN/2/2024/10402. • Application No.: 21-4/863/MP/IND/2019. • Date of Issuance: 30/12/2024. • Valid from: 31/01/2025. Valid up to: 30/01/2028.
23.	NOC Forest	Distance PTR APCCF_Panna Cement Plant.
24.	Nagar Parisad NOC	Amanganj Letter No. 594 dated 18/01/2024.
25.	Parking	Existing - 200 ECS Proposed - 280 ECS Total - 480 ECS.
26.	CTE /Consent detail	PCB ID:, 159558Consent No:AW- 60376, Consent valid up to 30/04/2029.
27.	Environmental Consultant details	Shri Vipul Khandelwal. Director & Coordinator M/s Gaurang Environmental Solutions Pvt. Ltd., Jaipur, (Rajasthan). Valid up to 07/12/2026.

Project Summary:

S.No	Items	Details		
1.	Project Name	Construction of the Residential Colony with a Plot Area of 14 Ha and a Built-up Area of 34,050 sq.m at Villages- Sotipura & Harduaken, Tehsil Amanganj, and District Panna (M.P.) by JK Cement Limited		
2.	Location	Villages- Sotipura & Harduaken, Tehsil Amanganj, and District Panna (M.P.)		
3.	Type of Project	Expansion of Residential Colony		
	Project details	**Existing as per CTE**	**Proposed**	**Total**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

5.	Total Plot area	140000sq.m	No change	140000sq.m
6.	Gross Built up area	16620 sq.m	17430 sq.m	34050 sq.m
a.	FAR Area	12542 sq.m.	12972 sq.m.	25,514sq.m.
b.	Non-FAR Area	4078 sq.m.	4458 sq.m.	8536 sq.m.
8.	Green Area	14100 sq.m (10.07%)	No Change	14100 sq.m (10.07%)

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)की 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 की, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)की 924वीं बैठक दिनांक 23.12.2025 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्न बिंदु i से viii को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

i. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।

ii. परियोजना के जलापूर्ति के लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

iv. परियेाजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

vii. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

viii. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

12. Proposal No. SIA/MP/MIN/519621/2025, Case No. P2/290/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 8.80 ha. for production capacity of Sand – 5000 m3/Year, at Khasra No. 145 (Govt. Land), Maswadiya Khalsa Village Badnagar Tehsil, District Ujjain (M.P.) by Shri Dinesh Sharma, Account (Manager), Divisional Office Ujjain The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd 58, Swastik Nagar Colony48 Nanakheda Ujjain MP.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" .....Hence, there is no scope for mining of sand at all as whole lease area is found submerged in all season as per available google images. In the light of the above facts committee is of considered opinion that this case can not be considered for EC recommendations'

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/548267/2025, Case No. 1940/2025 Prior Environment Clearance for Flagstone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 Hectare, for production capacity of 5,000 Cubic Meter Per Year, at khasra No. 30, 32/1, Village Kenwaha Tehsil Pichhore District Shivpuri (M.P.) by Shri Vinod Kumar Gupta, Ganesh Colony, Near Sai Baba Mandir Shivpuri (M.P.) 473551

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **838वी बैठक दिनांक 25.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के आदेश कमांक 2004 दिनांक 10.12.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.12.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/548393/2025 Case No. P2/1936/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.30 ha. for production capacity of 11970 M3 / year, at khasra No. 240, 241/2, Village Chaandhonii Gaddh Tehsil Gairathaganj District Raisen (M.P.) by Ramesh kumar dhakad, Yashwant nagar, Ward no. 12 Raisen (MP).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" ......The committee observed that PP has not complied the DEIAA EC stipulations viz filing compliance report to MOEF&CC, fencing in the Barrier zone, plantation within lease area, construction of garland drains and settling tanks, protection of barrier zone and CER related work hence, this case is not found fit for recommendation for grant of EC '

प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से प्रकरण में SEAC द्वारा प्रकरण को निरस्त किये जाने हेतु की गई अनुशंसा के संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने SEAC में पुनः प्रस्तुतीकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/521589/2025, Case No. P2/1935/2025 Prior Environment Clearance for Flagstone Quarry in an area 1.00 ha. for production capacity of 2730 M3 / year, at khasra no. 897/2, 897/3 & 639, Village- Lakhni Tehsil- Jabera District Damoh (M.P.) by Shri Dilip Rai, Project Proponent Jabalpur Naka District Damoh (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

" ......The committee observed that PP has not complied the DEIAA EC stipulations viz filing compliance report to MOEF&CC, fencing in the Barrier zone, plantation within lease area, construction of garland drains and settling tanks, protection of barrier zone and CER related work hence, this case is not found fit for recommendation for grant of EC '

प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन दिनांक 23.12.2025 के माध्यम से प्रकरण में SEAC द्वारा प्रकरण को निरस्त किये जाने हेतु की गई अनुशंसा के संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने SEAC में पुनः प्रस्तुतीकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/546425/2025, Case No. P2/1079/2025Prior Environment Clearance forStone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.291 ha. for production capacity of 36026 M3/year, at khasra No. 176, Village-Ajayabnagar, Tehsil Raisen, Distt. Raisen (MP) by M/s Exclusive Quarries Pvt. Ltd. Address D-3 Haridas Ji Ki Mangari Udaipur, DistrictUdaipur (Rajasthan)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **838वी बैठक दिनांक 25.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. **प्रकरण में प्रस्तुत ईआईए रिपोर्ट में Baseline Data ईआईए अधिसूचना 2006 में निर्धारित प्रकिया अनुसार नहीं है।**
2. **सरफेस वाटर कहा से लिया गया है का Source ईआईए प्रतिवेदन में नहीं बताया गया है।**
3. **Soil Profile Study ईआईए प्रतिवेदन में नहीं दी गई है।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु ैम।ब को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

17. Proposal No.SIA/MP/MIN/554198/2025, Case No.P2/1314/2025Prior Environment Clearance for Stone mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 Hectare, for production capacity of Gitti- 10,033 m3 & M-Sand -25,000 m3, at khasra No. 249/7/2/2, 249/7/2/1, Village – Bhagori, Tehsil – Jirapur, District- Rajgarh (M.P.) by Shri Sujan Gurjar Village Bhagori, Post Bhagora, Tehsil - Zirapur, Bhagori Machalpur Rajgarh Distt. Rajgarh (M.P.)465693

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **838वी बैठक दिनांक 25.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 838वी बैठक दिनांक 25.10.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के आदेश कमांक I/434630/2025 दिनांक 13.08.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.08.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक एवं प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

18. Proposal No. SIA/MP/MIN/518782/2025, Case No. P2/1851/2025Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for production capacity of Gitti – 8040 cum per year & M-Sand – 3960 cum per year, at khasra No. 51,53 Part, village Budiyakhedi, Tehsil Manawar District Dhar (M.P.) by Shri Ram Kumar Patidar, Lessee, H.No.-32, Sadar Bajar, Gram Loni, Dhar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **839वी बैठक दिनांक 28.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 839वी बैठक दिनांक 28.10.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के आदेश कमांक 1330 दिनांक 20.06.2024 के माध्यम से 10 वर्ष के सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.06.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नहर, हनुमान टेकरी मंदिर एवं स्ट्रक्चर न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

19. Proposal No. SIA/MP/MIN/539008/2025, Case No. P2/1882/2025Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha. for production capacity of 34350 cum per year, at Khasra No. 295, Village-Dadur, Tehsil Sardarpur and District-Dhar (MP) by Shri Dilip Kumar Raghuwanshi, Owner, Sultanpur, Dhar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **839वी बैठक दिनांक 28.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 839वी बैठक दिनांक 28.10.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के आदेश कमांक 2093 दिनांक 28. 11.2020 के माध्यम से दिनांक 11.06.2019 से 10 वर्ष के नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.06.2029 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पोण्ड से न्यूनतम 100 मीटर तक एवं प्राकृतिक नाले तथा हाईटेंशन लाईन से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

20. Proposal No. SIA/MP/MIN/548179/2025, Case No P2/1926/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha. for production capacity of Gitti 10200 Cum Per Annum & Khanda 1800 Cum Per Annum, at khasra No. 491, Village Bamanbardi Tehsil & District Neemuch (MP) by Shri Manohar Lal Anjana S/o Shri Gangaram Anjana Address: R/o-Village-Kesunda, Tehsil- Chhotisadri District-Pratapgarh (Raj).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **839वी बैठक दिनांक 28.10.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 839वी बैठक दिनांक 28.10.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र कमांक 995 दिनांक 08.07.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.07.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

21. Proposal No.: SIA/MP/MIN/550695/2025 Case No. 2146/2014 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha., for production capacity 33333 cum/yr, at Khasra No. 1288, Village-Paarwa Tehsil-Rajnagar District-Chhatarpur (MP) by Smt. Usha Dwivedi W/o Shri Deep Prakash Dwivedi, Sandhya VIhar Colony, Chhatarpur (MP)-471001 Regarding Transfer of EC in the name of M/s Vaishnavi Infra, Partner Shri Abhishek Garg, District Panna, (M.P.)

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 916वी बैठक दिनांक 27.11.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक व अधिकृत पर्यावरण सलहाकार द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये दस्तावेजों के परीक्षण में पाया गया कि प्रकरण में प्रस्तुत पूर्व परियोजना प्रस्तावक का अनापत्ति शपथ पत्र में **Original Signature** *न होते हुए* **Scan Signature** *लगाये गये है जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि प्रकरण में प्रस्तुत अनापत्ति शपथ पत्र में जो हस्ताक्षर लगाये गये है वह अनापत्ति देने वाले पूर्व परियोजना प्रस्तावक के ही है अथवा किसी अन्य के है। उक्त अनापत्ति शपथ पत्र कूटरचित प्रतीत होता है।*

नोटरी अधिवक्ता श्री संजय पालीवाल द्वारा भी बिना आवेदक के समक्ष हस्ताक्षर करवाये शपथ पत्र जारी किया गया है जो कि कानून का उल्लंघन है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक का प्रस्तुत अनापत्ति शपथ पत्र पर किये गये हस्ताक्षर का अभिप्रमाणीकरण प्राधिकरण के समक्ष किया जाये एवं **Original** *हस्ताक्षर के साथ अनापत्ति शपथ पत्र 15 दिवस में प्रस्तुत किया जाये तथा नोटरी अधिवक्ता एवं पर्यावरण सलाहकार को उपरोक्त कृत्य के संबंध में पत्र जारी किया जाये।"*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक **05.12.2025** के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना **2006** (पैरा–**11**) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों व **ADS reply** के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **Smt. Usha Dwivedi W/o Shri Deep Prakash Dwivedi, Sandhya VIhar Colony, Chhatarpur (M.P)** के नाम **Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha., for production capacity 33333 cum/yr, at Khasra No. 1288, Village-Paarwa Tehsil-Rajnagar District-Chhatarpur** (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **M/s Vaishnavi Infra, Partner Shri Abhishek Garg, District Panna, (M.P.)** के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 1313 दिनांक 05.05.2016 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर का लीज हस्तांतरण आदेश क. 68 दिनांक 13.01.2025 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की वैधता 02.06.2030 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. **नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

22. **Proposal No. SIA/MP/MIN/521472/2025 Case No P2/1806/2025 Prior Environment Clearance forcrusher Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 2.0 ha. lease, for production capacity of 15,000 m³/year, at Khasra No. 319/MIN-7., Khasra No. 319/MIN-7, village Malwasa, Tehsil Agar, District Agar Malwa, (Madhya Pradesh) by Shri Rajendra Singh S/O Shri HokamsinghM.No. 41, Ward No. 01, RajputMohalla, Gram Malwasa, Tehsil - Agar, District – Agar Malwa (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **824वी बैठक दिनांक 02.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 916वी बैठक दिनांक 27.11.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित लीज क्षेत्र से 750 मीटर की दूरी पर **SDM Office** प्रस्तावित होना परिलक्षित है। चूँकि पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदित प्रकरण पत्थर खदान का है जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।*

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत कलेक्टर जिला आगर–मालवा से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त खदान से प्रस्तावित SDM Office 750 मीटर की दूरी पर होने के कारण प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा अथवा नहीं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.11.2025 में चाही जानकारी कलेक्टर जिला आगर–मालवा से अपेक्षित है जानकारी प्राप्त होने के उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

23. Proposal No. SIA/MP/MIN/ 473189/2025, Case No. P2/1839/2025 Prior Environment Clearance for Silica Sand Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for production capacity Silica Sand-18001 TPA, at Khasra No. 298/1 & 298/2, Village- Tikharl Tehsil- Jabalpur District - Jabalpur (M.P.) by Shri Gulvi Uikey, R/o Village Chargawan, Tehsil Jabalpur, District Jabalpur (M.P)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **827वी बैठक दिनांक 12.09.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 917वी बैठक दिनांक 01.12.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 250 मीटर की परिधि के अंदर वन क्षेत्र स्थित है जिसमें संभागीय आयुक्त जबलपुर की अनुशंसा अनिवार्य है जो कि परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं है। SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में संभागीय आयुक्त जबलपुर की अनुशंसा प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है किन्तु संभागीय आयुक्त जबलपुर की अनुशंसा परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा 250 मीटर की परिधि के अंदर स्थित वन क्षेत्र के संबंध में संभागीय आयुक्त जबलपुर की प्राप्त अनुशंसा को 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जावेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS **दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ।वै त्मचसल को स्वीकार करते हुए, SEAC की 827वी बैठक दिनांक 12.09.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02. 2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश कमांक 11953-54 दिनांक 06. 09.2023 के माध्यम से 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.09.2053 तक वैध मान्य रहेगी।**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(i) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 13/10/2022 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा क्षेत्र की ओर निर्धारित दूरी छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा एवं वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्ते (भवन निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट –1

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–
   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network

9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.

10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.

11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.

12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.

13. **For firefighting:-**

    a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. Il the required A .2016fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC

    b. The occupancy permit shall be issued by MunicipalCorporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.

    c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises

14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.

15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.

16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping

17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.

18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.

19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.

20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.

21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.

23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - http://www.environmentclearance.nic.in/ or http://www.efclearance.nic.in/ and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.

26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.

28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.

30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.

33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें 3(a) श्रेणी हेतु

परिशिष्ट–2

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–
   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
2. The industry shall install an online monitoring system at the inlet as well as at the outlet of each APCD for monitoring SPM.
3. PP should ensure zero waste water discharge from the process. As per the proposal submitted 100% waste water shall be re-cycled in the process. No water shall be discharged outside the premises.
4. **Waste water Management:**
   (a) PP should maintain zero discharge from the Industry as proposed.

   (b) Separation of High & Low COD values effluent for better management of process effluent.

   (c) RO treated water will be recycle for the process and High COD effluent generation shall be completely evaporated with help of MEE so as to achieve zero discharge.

   (d) There shall be no industrial effluent discharge from the unit.
5. **For Air Pollution:**
   (a) PP should ensure air pollution control measures and stack height as proposed in the EIA/ EMP.

   (b) The performance of air pollution control system should be regularly monitored and maintained.

   (c) PP should ensure regular stack monitoring & ambient air quality monitoring and should be carried out as per the guidelines/norms of MPPCB/CPCB.

   (d) In plant control measures for checking fugitive emission from all the vulnerable sources shall be provided. Fugitive emission shall be controlled by providing closed

storage, closed handling & conveyance of chemicals/materials, multi cyclone separator/bag filters and water sprinkling system.

(e) Dust suppression system including water sprinkler system/ foaming arrangement shall be provided at loading and unloading areas to control dust emission.

(f) Fugitive emission in the work zone environment, product, raw material storage areas etc. shall be regularly monitored.

(g) Transportation of raw material and finished goods should be carried out in covered trucks.

(h) For control of fugitive emission and VOCs following steps should be followed:-

- Chilled brine circulation system shall be provided and it should be ensured that the solvent recovery efficiency will not be less than 95%.
- Reactor and solvent handling pump shall be provided with mechanical seal to prevent leakage.
- Closed handling system should be provided for chemicals.
- System of leak detection and repair of pump/pipeline should be based on preventive maintenance.
- Solvent shall be taken from underground storage tank to reactor through closed pipeline. Storage tank shall be vented through trap receiver and condenser operated on chilled water.

6. **Hazardous Waste:**

(a) PP should ensure disposal of hazardous waste regularly and there should be no dumping of these materials in the premises/outside.

(b) PP should ensure handling, disposal and management of hazardous waste as per the related prescribed rules.

(c) PP should obtain renewal of authorization regularly from MPPCB for collection storage and disposal of hazardous waste (Management, Handling & Trans Boundary Movement) Rules 2008 and its amendments. Membership of the TSDF should be obtained for hazardous waste disposal.

(d) Hazardous chemicals should be stored in sealed tanks, drums etc. Flame arrestors shall be provided on tanks. To avoid the spillage from processing unit, Industry shall provide fully mechanized filling and packaging operation unit.

(e) PP should provide RCC layer and double layered HDPE lining for primary and secondary leachate collection.

7. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures and energy efficient equipments.
8. **Green Belt:**

(a) PP should ensure plantation in area of >33% (as committed) of the total plot area and Plantation in the project area of indigenous local varieties like Neem, Peepal, Kadam, Kachnaar etc.

(b) Every effort should be made to protect the existing trees on the plot.

(c) Green area including thick green-belt shall be developed in the plot area to mitigate the effect of fugitive emissions all around the project area in consultation with the forest department as per the guidelines of CPCB.

9. PP should ensure the implementation of CER activities on regular basis in consultation with the Gram Panchayat of the respective villages & also adopt nearby villages for development of infrastructure in Anganwadi.
10. PP should obtain NOC /approval from competent authority for health & safety measure, Onsite & Offsite disaster management, and Risk management plan before commencing the operation of the unit.
11. In the event of failure of any pollution control system adopted by the unit, the unit shall be safely closed down and shall not be restarted until the desired efficiency of the control equipment has been achieved.
12. PP should ensure to conduct regular on site and of site mock drill as per Health and Safety Norms.
13. PP should ensure disposal of storm water (if any) to linkage with MPIDC drainage system.
14. Total quantity of runoff water generated and green belt area should be collected in underground tank & used for process in plant to minimize fresh water requirement.